



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102025-267179
CG-DL-E-27102025-267179

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 709]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 2025/ कार्तिक 5, 1947

No. 709]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2025/ KARTIKA 5, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2025

सं. 30/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 793(अ).— सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तु की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20, 23, 29 और 31 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 नवंबर, 2021, जिसे का. आ. 790(अ) दिनांक 11 नवंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्र.सं. 1 के समक्ष, कॉलम (7) में, प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि '1,296' प्रतिस्थापित की जाएगी।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/234/2021-टीआरयू]

धीरज शर्मा, उप सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना संख्या 66/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 11 नवंबर, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में का. आ संख्या 790(अ), दिनांक 11 नवम्बर, 2021 के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2025

No. 30/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 793(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with rules 18, 20, 23, 29 and 31 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 66/2021-Customs (ADD), dated the 11th November, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 790(E), dated the 11th November, 2021, namely: -

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, in column (7), for the entry, the entry '1,296' shall be substituted.

2. This notification shall come into force with immediate effect.

[F. No. CBIC-190354/234/2021-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 66/2021-Customs (ADD), dated the 11th November, 2021, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.O. 790(E), dated the 11th November, 2021.